

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या- 21 / 8-3-13-107 विविध/10
लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 2013
कार्यालय-ज्ञाप

विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-1943/8-3-10-107 विविध/10 लखनऊ दिनांक 14 मई, 2010 के द्वारा गठित समिति को सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:-

1. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अध्यक्ष
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 सदस्य
3. श्री जगवीर सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय आर्किटेक्चर कालेज, लखनऊ सदस्य
4. श्री सत्यवीर सिंह दलाल, अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु सदस्य/संयोजक

आर0के0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समिति के समस्त सदस्यगण।
2. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसकी प्रतियां समस्त सम्बंधित को अपने स्तर से भेजने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0के0 यादव)
अनुसचिव